

## गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

टेलीफोन नं 5512580010, ई-मेल आईडी-[engida@rediffmail.com](mailto:engida@rediffmail.com)

## अल्प कालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अद्योलिखित कार्य हेतु गीडा में विद्युत कार्य के अन्तर्गत सी एवं डी श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य ठेकेदारों से टू बिड अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे से 09.03.2020 सायं 3.00 बजे तक मोहर बन्द सिल्ड टू बिड (A-तकनीकी बिड व B-फाइनेन्सियल बिड) निविदाओं आमन्त्रित की जाती है। निविदा गीडा कार्यालय में दिनांक 09.03.2020 को सायं 3.00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे A-तकनीकी बिड खोली जायेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले ठेकेदारों की B-फाइनेन्सियल बिड तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने के आधार पर खोलने की तिथि गीडा के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक 28.02.2020 से 09.03.2020 को दिन में 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर द्वारा निम्न एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो सलग्न करना अनिवार्य है। उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।


| क्र० सं० | कार्य का नाम   | आगणन धनराशि (जी०एस०टी० व लेबर सेस सहित। | धरोहर धनराशि रू० | (निविदा मूल्य जी०एस०टी सहित) | कार्यावधि |                                     |
|----------|--|---|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1        | गीडा से प्रभावित ग्राम कालेसर, बोक्टा, केशोपुर, जूडियान, झुगिया, बड़गहन तथा नेवास में एल० ई० डी० स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्य। | 964842.00                               | 96484.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    |                                     |
| 2        | गीडा सेक्टर-15 में स्थित भूखण्ड सं० ए-1/22डी के ऊपर से जा रही विद्युत लाईन के शिपटिंग का कार्य।                                    | 444162.00                               | 44416.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    | विद्युत सुरक्षा 'क' श्रेणी लाईसेंस। |
| 3        | रहजनवा आवासीय योजना सेक्टर-23 के विद्युत पोलो की पेटिंग का कार्य।  | 228738.00                               | 22874.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    |                                     |
| 4        | गीडा के ग्राम कालेसर में विद्युत अनुरक्षण का कार्य।  | 971865.00                               | 97187.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    | विद्युत सुरक्षा 'क' श्रेणी लाईसेंस। |

नोट:- उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09.03.2020 पूर्वान्ह तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो वह [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड एवं सूचना पट पर चरपा कर दिया जायेगा।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक 3696 /अभि०नि०-6/सिविल/निविदा(सि०)/गीडा/2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020  
प्रतिलिपि :-

- 1-जन सम्पर्क अधिकारी /प्रबन्धक (सम्पत्ति) गीडा को दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु।
- 2-सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
- 3-वरिष्ठ प्रबन्धक (सिविल) को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 4-निविदा समिति के सदस्यों सहायक प्रबन्धक (विद्युत)/सहायक प्रबन्धक (वित्त)/एव प्रबन्धक (नियोजन) को सूचनार्थ प्रेषित।
- 5-उपरोक्त तालिका में अंकित कार्यों की पत्रावली में संरक्षित करने हेतु प्रेषित।
- 6-गीडा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

# गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

## संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

टेलीफोन नं० 5512580010, ई-मेल आईडी-ccogida@rediffmail.com

### अल्प कालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधोलिखित कार्य हेतु गीडा में विद्युत कार्य के अन्तर्गत सी एवं डी श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य ठेकेदारों से टू बिड अल्पकालीन निविदा आमन्त्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे से 09.03.2020 सायं 3.00 बजे तक मोहर बन्द सिल्ड टू बिड (A-तकनीकी बिड व B-फाइनेन्सियल बिड) निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा गीडा कार्यालय में दिनांक 09.03.2020 को सायं 3.00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे A-तकनीकी बिड खेली जायेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले ठेकेदारों की B-फाइनेन्सियल बिड तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने के आधार पर खोलने की तिथि गीडा के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक 28.02.2020 से 09.03.2020 को दिन में 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो संलग्न करना अनिवार्य है। उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

| क्र० सं० | कार्य का नाम  | आगणन धनराशि (जी0एस0टी0 व लेबर सेस सहित। | धरोहर धनराशि रू०                | (निविदा मूल्य जी0एस0टी सहित) | कार्यावधि |
|----------|---|---|---------------------------------|------------------------------|-----------|
| 1        | गीडा से प्रभावित ग्राम कालेसर, बोक्टा, केशोपुर, जूडियान, झुगिया, बडगहन तथा नेवास में एल0ई0डी0 स्ट्रीट लाईट लगाये जाने का कार्य। | <del>987806.00</del><br>964842.00       | <del>98784.00</del><br>96484.00 | रू० 1180.00                  | 30 दिन    |

नोट:- उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09.03.2020 पूर्वान्ह तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो वह [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड एवं सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया जायेगा।

नियम एवं शर्त :-

नियम एवं शर्त :-

A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी0डी0 के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। जिसकी वैधता 03 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा परफार्मेन्स सिक्योरिटी यदि देय होती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0 मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक होगी एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

B) प्रत्येक निविदादाताओं को रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं सही हैं संलग्न करना अनिवार्य है।

C) अपराधिक रिकार्ड वाले अथवा स्टेटबार काउन्सिल में पंजीकृत निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। टेण्डर में सुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियों, गंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भी भाग लेना प्रतिबन्धित होगा, साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ठेकेदार को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


D) निविदादाता द्वारा वार्षिक टर्न ओवर का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई0 टी0 आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा जी0 एस0 टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- E) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेन्स सिक्वोरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्वोरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- F) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए।
- G) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।
- H) कार्य पूर्ण होने के पश्चात 12 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लाईबिलिटी पीरियड के साथ 12 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- I) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुए) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- J) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- K) निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- L) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- M) कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दशा में अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- N) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संस्थागत सेक्टर-07 (गीडा), गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- O) निविदाकार को नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य प्रचलित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
- P) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) विभाग द्वारा नियमानुसार काटा जायेगा।
- Q) संबंधित कार्य हेतु समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- R) फर्म को कम्पनी द्वारा देय वारन्टी अवधि का प्रमाण पत्र जो निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- S) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण करने के उपरान्त सामग्री ठीक होने की दशा में आपूर्ति मगायी जायेगी।
- T) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक : 3700 /अभि0नि0-6/निविदा/(विद्युत/गीडा/2019-20 दिनोंक 26 फरवरी 2020  
1- सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

# गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

टेलीफोन नं 5512580010, ई-मेल आईडी-ccogida@rediffmail.com

## अल्प कालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधोलिखित कार्य हेतु गीडा में विद्युत कार्य के अन्तर्गत सी' एवं डी श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य ठेकेदारों से टू बिड अल्पकालीन निविदा आमन्त्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे से 09.03.2020 सायं 3.00 बजे तक मोहर बन्द सिल्ड टू बिड (A-तकनीकी बिड व B-फाइनेन्सियल बिड) निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा गीडा कार्यालय में दिनांक 09.03.2020 को सायं 3.00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे A-तकनीकी बिड खेती जायेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले ठेकेदारों की B-फाइनेन्सियल बिड तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने के आधार पर खोलने की तिथि गीडा के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक 28.02.2020 से 09.03.2020 को दिन में 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो संलग्न करना अनिवार्य है। उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

| क्र० सं० | कार्य का नाम  | आगणन धनराशि (जी०एस०टी० व लेबर सेस सहित। | धरोहर धनराशि रू० | (निविदा मूल्य जी०एस०टी सहित) | कार्यावधि |                                     |
|----------|---|---|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1        | गीडा सेक्टर-15 में स्थित भूखण्ड सं० ए-1/22 डी के ऊपर से जा रही विद्युत लाईन के शिफ्टिंग का कार्य। | 444162.00                               | 44416.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    | विद्युत सुरक्षा 'क' श्रेणी लाईसेंस। |

नोट:- उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09.03.2020 पूर्वान्ह तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो वह [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड एवं सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया जायेगा।

**नियम एवं शर्तें :-**

A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी०डी० के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। जिसकी वैधता 03 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा परफॉरमेन्स सिक्क्योरिटी यदि देय होती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ० डी० आर०/एन० एस० सी० मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक होगी एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

B) प्रत्येक निविदादाताओं को रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं सही है संलग्न करना अनिवार्य है।


C) अपराधिक रिकार्ड वाले अथवा स्टेटबार काउन्सिल में पंजीकृत निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। टेण्डर में सुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियों, गंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भी भाग लेना प्रतिबन्धित होगा, साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ठेकेदार को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

D) निविदादाता द्वारा वार्षिक टर्न ओवर का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई० टी० आर० तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा जी० एस० टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- E) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- F) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए।
- G) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।
- H) कार्य पूर्ण होने के पश्चात 12 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लाईबिलिटी पीरियड के साथ 12 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- I) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुए) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- J) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- K) निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- L) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- M) कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दशा में अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- N) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संस्थागत सेक्टर-07 (गीडा), गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- O) निविदाकार को नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य प्रचलित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
- P) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) विभाग द्वारा नियमानुसार काटा जायेगा।
- Q) संबंधित कार्य हेतु समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- R) फर्म को कम्पनी द्वारा देय वारन्टी अवधि का प्रमाण पत्र जो निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- S) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण करने के उपरान्त सामग्री ठीक होने की दशा में आपूर्ति मगायी जायेगी।
- T) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

3697  
पत्रांक : /अभि0नि0-6/निविदा/(विद्युत/गीडा/2019-20 दिनांक 16 फरवरी 2020  
1- सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

# गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

## संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

टेलीफोन नं० 5512580010, ई-मेल आईडी-geogida@rediffmail.com

### अल्प कालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधोलिखित कार्य हेतु गीडा में विद्युत कार्य के अन्तर्गत सी एवं डी श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य ठेकेदारों से टू बिड अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे से 09.03.2020 सायं 3.00 बजे तक मोहर बन्द सिल्ड टू बिड (A-तकनीकी बिड व B-फाइनेन्सियल बिड) निविदायें आमन्त्रित की जाती हैं। निविदा गीडा कार्यालय में दिनांक 09.03.2020 को सायं 3.00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे A-तकनीकी बिड खेली जायेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले ठेकेदारों की B-फाइनेन्सियल बिड तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने के आधार पर खोलने की तिथि गीडा के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक 28.02.2020 से 09.03.2020 को दिन में 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो संलग्न करना अनिवार्य है। उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

| क्र० सं० | कार्य का नाम  | आगणन धनराशि (जी0एस0टी0 व लेबर सेस सहित। | धरोहर धनराशि रू० | (निविदा मूल्य जी0एस0टी सहित) | कार्यावधि |
|----------|---|---|------------------|------------------------------|-----------|
| 1        | सहजनवा आवासीय योजना सेक्टर-23 के विद्युत पोलो की पेटिंग का कार्य। | 228738.00                               | 22874.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    |

नोट:- उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09.03.2020 पूर्वान्ह तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो वह [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड एवं सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया जायेगा।

#### नियम एवं शर्त :-

A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी0डी0 के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। जिसकी वैधता 03 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा परफॉरमेन्स सिक्योरिटी यदि देय होती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0/एन0 एस0 सी0 मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक होगी एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

B) प्रत्येक निविदादाताओं को रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं सही हैं संलग्न करना अनिवार्य है।

C) अपराधिक रिकार्ड वाले अथवा स्टेटबार काउन्सिल में पंजीकृत निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। टेण्डर में सुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियों, गंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भी भाग लेना प्रतिबन्धित होगा, साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ठेकेदार को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

D) निविदादाता द्वारा वार्षिक टर्न ओवर का सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई0 टी0 आर0 तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा जी0 एस0 टी0 का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

- E) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफार्मेन्स सिक्क्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफार्मेन्स सिक्क्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अदमुक्त की जायेगी।
- F) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंको में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए।
- G) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।
- H) कार्य पूर्ण होने के पश्चात 12 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लाईबिलिटी पीरियड के साथ 12 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- I) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुए) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- J) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- K) निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- L) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- M) कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दशा में अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- N) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संस्थागत सेक्टर-07 (गीडा), गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- O) निविदाकार को नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य प्रचलित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
- P) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) विभाग द्वारा नियमानुसार काटा जायेगा।
- Q) संबंधित कार्य हेतु समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- R) फर्म को कम्पनी द्वारा देय वारन्टी अवधि का प्रमाण पत्र जो निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- S) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण करने के उपरान्त सामग्री ठीक होने की दशा में आपूर्ति मगायी जायेगी।
- T) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(संजीव रंजन)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक : 3699 /अभि0नि0-6/निविदा/(विद्युत/गीडा/2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020

1- सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।



(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

# गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

## संस्थागत सेक्टर-7, गोरखपुर।

टेलीफोन नं० 5512580010, ई-मेल आईडी-geogida@rediffmail.com

### अल्प कालीन निविदा सूचना

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत अधोलिखित कार्य हेतु गीडा में विद्युत कार्य के अन्तर्गत सी एवं डी श्रेणी में पंजीकृत एवं अन्य ठेकेदारों से टू बिड अल्पकालीन निविदा आमंत्रित किया जाता है। निविदा दिनांक 27.02.2020 को प्रातः 10.00 बजे से 09.03.2020 सायं 3.00 बजे तक मोहर बन्द सिल्ड टू बिड (A--तकनीकी बिड व B--फाइनेन्सियल बिड) निविदायें आमन्त्रित की जाती है। निविदा गीडा कार्यालय में दिनांक 09.03.2020 को सायं 3.00 बजे तक रखे निविदा बाक्स में डाली जायेंगी एवं उपस्थित ठेकेदारों के समक्ष उसी दिन सायं 4.00 बजे A--तकनीकी बिड खेती जायेगी तथा पात्रता पूरी करने वाले ठेकेदारों की B--फाइनेन्सियल बिड तकनीकी बिड में अर्ह पाये जाने के आधार पर खोलने की तिथि गीडा के सूचना पट पर प्रकाशित की जायेगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित शुल्क जमा कर गीडा कार्यालय के वित्त अनुभाग से दिनांक 28.02.2020 से 09.03.2020 को दिन में 2.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा के साथ धरोहर राशि के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंक/डाक घर द्वारा निर्गत एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो संलग्न करना अनिवार्य है। उसका उल्लेख निविदा प्रपत्र पर करना अनिवार्य होगा। धरोहर राशि की छायाप्रति मान्य नहीं होगा। कार्यालय बन्द होने पर या अवकाश होने की दशा में यह बिड अगले कार्यालय दिवस में खोली जायेगी।

| क्र० सं० | कार्य का नाम  | आगणन धनराशि (जी०एस०टी० व लेबर सेस सहित। | धरोहर धनराशि रू० | (निविदा मूल्य जी०एस०टी सहित) | कार्यावधि |                                     |
|----------|---|---|------------------|------------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 1        | गीडा के ग्राम कालेसर में विद्युत अनुरक्षण का कार्य। | 971865.00                               | 97187.00         | रू० 1180.00                  | 30 दिन    | विद्युत सुरक्षा 'क' श्रेणी लाईसेंस। |

नोट:- उक्त के अतिरिक्त दिनांक 09.03.2020 पूर्वान्ह तक कोई भी शुद्धि पत्र यदि होगा तो वह [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) के गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा), गोरखपुर की वेबसाइट पर अपलोड एवं सूचना पट्ट पर चस्पा कर दिया जायेगा।

#### नियम एवं शर्त :-

A) निविदा की वैधता निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि से 90 दिन तक होगी। निविदादाता द्वारा निविदा मूल्य डी०डी० के रूप में जो गीडा, गोरखपुर के पक्ष में देय होगा। जिसकी वैधता 03 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है। निविदादाता द्वारा परफॉरमेन्स सिक्योरिटी यदि देय होती है तो राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ० डी० आर०/एन० एस० सी० मूल रूप में जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा के पक्ष में बन्धक होगी एवं गोरखपुर में देय हो व जिसकी वैधता 36 माह से कम न हो, संलग्न करना अनिवार्य है।

B) प्रत्येक निविदादाताओं को रू० 100.00 के नॉन ज्यूडिसियल स्टैम्प के शपथ पत्र पर सभी सूचनाएं सही है संलग्न करना अनिवार्य है।

C) अपराधिक रिकार्ड वाले अथवा स्टेटबार काउन्सिल में पंजीकृत निविदादाता को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं होगी। टेण्डर में सुचिता लाने तथा माफिया गतिविधियों एवं गुण्डा तत्वों पर रोक लगाने एवं जो माफिया गतिविधियों, गंगेस्टर एवं गुण्डा गतिविधियों में संलिप्त हो उसे ठेका नहीं दिया जायेगा। ऐसे व्यक्तियों का ठेका प्रक्रिया में भी भाग लेना प्रतिबन्धित होगा, साथ ही जो ठेकेदार पूर्व में लोक निर्माण विभाग अथवा राज्य सरकार या किसी अन्य विभाग में ब्लैक लिस्टेड श्रेणी में आते हैं वो भी ठेके में भाग नहीं ले सकेंगे। ऐसे ठेकेदार को कोई भी ठेका स्वीकृत नहीं किया जायेगा। ठेकेदार को उपरोक्तानुसार शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।


D) निविदादाता द्वारा वार्षिक टर्न ओवर का सी०ए० द्वारा प्रमाणित बैलेन्स शीट एवं आई० टी० आर० तथा नवीनतम वैध चरित्र प्रमाण-पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, पैन कार्ड तथा जी० एस० टी० का पंजीकरण की प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है।



- E) निविदादाता द्वारा कम रेट अंकित करने पर नियमानुसार निर्धारित तिथि के अन्तर्गत परफॉरमेन्स सिक्योरिटी जमा करने के पश्चात ही अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी। अन्यथा की स्थिति में जमानत धनराशि जप्त करते हुये अग्रिम कार्यवाही का अधिकार मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा। जमा की गयी परफॉरमेन्स सिक्योरिटी संतोषजनक ढंग से कार्य पूर्ण करने के उपरान्त अवमुक्त की जायेगी।
- F) निविदा की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों तथा अंकों में निर्धारित स्थान पर अंकित होने चाहिए।
- G) निविदा स्वीकृति के पश्चात आदेश प्राप्ति के तीन दिवस के अन्दर निर्धारित स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध सम्पादित कर कार्य प्रारम्भ करना होगा तथा नियत समय के अन्दर पूर्ण करना आवश्यक है।
- H) कार्य पूर्ण होने के पश्चात 12 माह के अन्दर कराये गये कार्य में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर कमी को दूर करना ठेकेदार/फर्म की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। निर्धारित डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड तक यदि भविष्य में शासन द्वारा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड बढ़ाई जाती है तो ठेकेदार/फर्म द्वारा मान्य होगा। अन्यथा की स्थिति में धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा कराये गये कार्य की निर्धारित लाईबिलिटी पीरियड के साथ 12 माह बाद धरोहर धनराशि वापस की जायेगी।
- I) ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय से कार्य पूर्ण न किये जाने की दशा में विलम्ब का कारण दर्शाते हुए संतोषजनक उत्तर न देने पर समयवृद्धि का अधिकार (नियमानुसार अर्थदण्ड देते हुए) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा में निहित होगा।
- J) अव्यवहारिक दरें किसी भी दशा में मान्य नहीं होंगी।
- K) निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न प्रपत्र जांच के समय अथवा बाद में असत्य पाया जाता है तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराते हुए धरोहर धनराशि जब्त कर ब्लैक लिस्ट किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- L) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।
- M) कार्य फर्म/ठेकेदार द्वारा प्रत्येक दशा में अनुबन्ध की प्रक्रिया सम्पन्न होने की तिथि से निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण करना होगा।
- N) निविदा प्रपत्र एवं धरोहर धनराशि मूल रूप से निविदा के साथ संलग्न कर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण संस्थागत सेक्टर-07 (गीडा), गोरखपुर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- O) निविदाकार को नियमानुसार जी.एस.टी. एवं अन्य प्रचलित करों का भुगतान स्वयं करना होगा।
- P) ठेकेदार के बिल से 1 प्रतिशत श्रमिक पंजीयन उपकर (सेस चार्ज) विभाग द्वारा नियमानुसार काटा जायेगा।
- Q) संबंधित कार्य हेतु समान प्रकृति के कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
- R) फर्म को कम्पनी द्वारा देय वारन्टी अवधि का प्रमाण पत्र जो निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किया गया हो उसका प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- S) मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा सामग्री का निरीक्षण करने के उपरान्त सामग्री ठीक होने की दशा में आपूर्ति भगायी जायेगी।
- T) किसी भी विवाद की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी गीडा का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा।

(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।

पत्रांक : 3698 /अभि0नि0-6/निविदा/विद्युत/गीडा/2019-20 दिनांक 26 फरवरी 2020  
सहायक प्रबन्धक (कम्प्यूटर) गीडा को इस आशय से प्रेषित कि गीडा वेब साईट [www.gidagkp.org](http://www.gidagkp.org) पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
(संजीव रंजन)  
मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
गीडा-गोरखपुर।